Karan Chaudhary Sir



First Amendment Act, 1951

- 9 वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा ' (judicial review) नहीं की जा सकती।
- The 9th Schedule was added in which provision was made that any subject included in this list could not be subjected to judicial review by the court.



First Amendment Act, 1951

 अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड 15 (4) जोड़ा गया जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिये राज्यों को शक्ति दी गई।

• A new sub-section 15(4) was added to Article 15 empowering the States to make special provisions in favor of the socially and educationally backward classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.


Seventh Amendment Act, 1956



- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान पेश किया गया था।
- The provision of having a common High Court for two or more states was introduced



Seventh Amendment Act, 1956



• वर्ग ए, बी, सी और डी राज्यों का उन्मूलन – 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

• Abolition of Class A, B, C and D states – 14
States and 6 Union Territories were formed.



- बेरुबारी संघ (पश्चिम बंगाल) के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को अधिग्रहण।
- Cession of Indian territory of Berubari Union (West Bengal) to Pakistan.



- दादरा, नगर और हवेली भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हैं।
- Dadra, Nagar, and Haveli incorporated in the Union of Indian as a Union Territory.



- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया।
- Goa, Daman and Diu incorporated in the Indian Union as a Union Territory



- अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जे के साथ नागालैंड का गठन किया गया था।
- Nagaland was formed with special status under Article 371A.




- पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई
- Pondicherry incorporated into the Indian Union.
- Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa,
 Daman and Diu and Puducherry were provided the legislature and
 council of ministers.



- सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा
 थी।
- Sindhi language was language into
 8th Schedule of Indian Constitution.





- देशी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए ।
- Privy Purse and privileges of former rulers of princely states were abolished.



- लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545. किया गया।
- Lok Sabha seats were increased from
 525 to 545

- सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के 'एसोसिएट स्टेट' का दर्जा दिया गया।
- The status of Sikkim as protectorate state was terminated and Sikkim was given the status of 'Associate State' of India.



- सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया
 था।
- Sikkim was made a full-fledged state of India.



- संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में तीन नए शब्द जोड़े गए- 'समाजवादी '(Socialist), 'पंथ निरपेक्ष '(Secular) तथा 'अखंडता (Integrity)!
- Three new words were added in the Preamble of the Constitution 'Socialist'., 'Secular' and 'Integrity'!


- संविधान में भाग -4 क के तहत एक नया अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के मूल कर्त्तव्य निर्धारित किये गए। यह संकल्पना (मूल कर्त्तव्य) सोवियत संघ (पूर्व) के संविधान से प्रेरित है।
- Fundamental duties of citizens were fixed by adding a new Article 51 under Part-4A in the Constitution. This concept (Fundamental Duty) is inspired by the Constitution of the Soviet Union (East).



- संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 (1) (च) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया जिसे एक नए अनुच्छेद 300 क के माध्यम से कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।
 - Article 19 (1) (f) and Article 31 related to the right to property were removed from the fundamental rights which were made a legal right through a new article 300A.

- अनुच्छेद 74 (1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद इस सलाह को मानने के लिये राष्ट्रपति बाध्य होगा।
- By amending Article 74 (1), the President was empowered to return the advice given by the Council of Ministers once for reconsideration, but after that the President would be bound to accept this advice.

52nd Amendment Act, 1985



- दलबदल विरोधी कानूनों के लिए एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। उम्मीदवार लिंक किए गए लेख में दसवीं अनुसूची के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
- A new tenth Schedule was added providing for the anti-defection laws. Candidates can read in detail about the Tenth Schedule in the linked article.



- दलबदल विरोधी कानूनों के लिए एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। उम्मीदवार लिंक किए गए लेख में दसवीं अनुसूची के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
- A new tenth Schedule was added providing for the anti-defection laws. Candidates can read in detail about the Tenth Schedule in the linked article.

65th Amendment Act, 1990



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और एससी और एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी के कार्यालय को हटा दिया गया।

Multi-member National Commission for SC/ST was established and the office of a special officer for SCs and STs was removed.



- केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया था।
 - Union Territory of Delhi was given the special status of 'National Capital Territory of Delhi.

- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- Konkani, Manipuri and Nepali languages were included in the Eighth Schedule of the Constitution.

73rd Amendment Act, 1992



- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- Panchayati Raj institutions were given constitutional status.

73rd Amendment Act, 1992

- भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए एक नया भाग-IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- A new Part-IX and 11th Schedule were added in the Indian Constitution to recognize Panchayati Raj Institutions and provisions related to them.

- शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- Urban local bodies were granted constitutional status.







- भारतीय संविधान में एक नया भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- A new Part IX-A and 12th Schedule were added to the Indian Constitution.






- प्राथिमक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- Elementary Education was made a fundamental right Free and compulsory education to children between 6 and 14 years.

92nd Amendment Act, 2003

बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, कुल आधिकारिक भाषाओं को 18 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया।

Bodo, Dogri (Dongri), Maithili and Santhali were added in the Eighth scheduleTotal official languages were increased from 18 to 22.

97th Amendment Act, 2011



सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया

गया:

Co-operative Societies were granted

constitutional status:



- सहकारी सिमितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।
- Right to form cooperative societies made a fundamental right (Article 19)



- सहकारी सिमितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी)
- A new Directive Principle of State Policy (Article 43-B) to promote cooperative societies.




- सहकारी सिमितियों के लिए संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया।
- A new part IX-B was added in the constitution for cooperative societies.

100th Amendment Act, 2015

भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए, बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव क्षेत्रों के आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया है।

To pursue land boundary agreement 1974 between India and Bangladesh, exchange of some enclave territories with Bangladesh mentioned.

Karan Chaudhary Sir



- भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय) के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया।
- Provisions relating to the territories of four states
 (Assam, West Bengal, Meghalaya) in the first schedule
 of the Indian Constitution, amended.





- गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पेश किया गया था।
- Goods and Service Tax (GST) was introduced.



102nd Amendment Act, 2018



- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
- Constitutional Status was granted to National
 Commission for Backward Classes (NCBC)

103rd Amendment Act, 2019

अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अलावा अन्य वर्ग। जनजातियाँ।

A maximum of 10% Reservation for Economically Weaker Sections of citizens of classes other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) of Article 15, i.e. Classes other than socially and educationally backward classes of citizens or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

104th Amendment Act, 2020

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर साल से बढ़ाकर अस्सी कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया।


Extended the deadline for the cessation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and states assemblies from Seventy years to Eighty. Removed the reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies.

105th Amendment Act, 2021

संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी।

According to the amendment, the President can notify the list of socially and educationally backward classes only for the purposes of the Central Government.

This Central List shall be prepared and maintained by the Central Government.



- इसके अलावा, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है।
- Further, it enables the States and Union Territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes.

105th Amendment Act, 2021

संविधान का अनुच्छेद- 338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है।

Article-338B of the Constitution mandates the Central and State Governments to consult the National Commission for Backward Classes (NCBC) on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes.

105th Amendment Act, 2021

संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।

The amendment exempts the States and Union Territories from this requirement for matters relating to the preparation of lists of socially and educationally backward classes.

Thank you!